न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या 166/2017 | रजू दिनांक 01.08.2017 | निर्णय दिनांक 04.7.2023

उनवान

1. महादाराम पुत्र अंगनाराम जाति माली निवासी ग्राम माधोसिंहपुरा .....मृतक
   1/1 ओमप्रकाश पुत्र महादाराम
   1/2 शकुन्तला देवी पुत्री महादाराम
   1/3 लक्ष्मी देवी पुत्री महादाराम
   1/4 कमला देवी पत्नी हरिराम पुत्र महादाराम
   1/5 जसराम पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/6 प्रेम सिंह पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/7 सुखराम पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/8 विजय पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/9 किरोडी पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/10 हवासिंह पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/11 सतीश पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/12 मुकेश देवी पुत्री हरिराम पुत्र महादाराम
   1/13 नर्बदा देवी पुत्री हरिराम पुत्र महादाराम
   1/14 सरोज देवी पुत्री हरिराम पुत्र महादाराम समस्त जाति माली निवासी ग्राम माधोसिंहपुरा तह0 नीमराना।
2. मेदराम पुत्र अंगनाराम जाति माली निवासी ग्राम माधोसिंहपुरा तह0 नीमराना।

:–**वादीगण।**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

:– **प्रतिवादी।**

दावा अन्तर्गत धारा 88,188,189 आर0टी0एक्ट0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात।

उपस्थितिः–

1. श्री प्राणसुख सैनी एड0 वादीगण की ओर से।
2. पैरोकार सरकार की ओर से जवाब दावा।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं.हाल 1017/0.29, 1024/0.67,236/1326/0.09,249/0.16 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह. नीमराना वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। हम वादीगण का वास्तविक नाम महादाराम, मेदाराम है। तथा हमारे पिता का वास्तविक नाम अंगनाराम है। हम वादीगण के पिता अंगनाराम की विरासत का इंतकाल सं. 227 हम वादीगण के नाम से स्वीकृत है लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा अंकन करते समय ख.नं. 1024, 1017 मे गलती से वादी सं. 01 का नाम महादाराम के स्थान पर महादेव व वादी स. 02 का नाम मेदाराम के स्थान पर मेदा व हमारे पिता का नाम अंगनाराम के स्थान पर अर्जुन अंकित कर दिया गया। इसी प्रकार ख.नं. 236/1326, 249 मे वादी सं. 01 का नाम महादाराम के स्थान पर महादेव प्रसाद व वादी सं. 02 का नाम मैदाराम के स्थान पर भौरेलाल अंकित कर दिया व हमारे पिता का नाम अंगनराम के स्थान भजनलाल अंकित कर दिया जो नाम गलत अंकित किये गये है। इन नामों का कोई व्यक्ति हमारे ग्राम मे नही है। उक्त गलत अंकन ताहाल रिकॉर्ड मे चला आ रहा है। इस गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण ने तहसीलदार सहाब के समक्ष आवेदन पेश किया उन्होंने न्यायालय द्वारा दुरूस्ती कराने के लिए कहा इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. अन्त मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि हैः–
   (क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की जारी की जावे कि आराजी ख.नं. हाल 1017/0.29, 1024/0.67 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह. नीमराना के हाल जमाबंदी के खातेदारी कॉलम मे जहा पर महादेव, मेदा पि0 अर्जून अंकित है उसे दुरूस्त किया जा कर उसके स्थान पर महादाराम, मेदाराम पुत्रान अंगनाराम दर्ज किया जावे। व इसी प्रकार आराजी ख.न. हाल 236/1326/0.09,249/0.16 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह. नीमराना के हाल राजस्व जमाबंदी के खातेदारी कॉलम

कारी
र)

है जहा पर महादेव प्रसाद, भौरेलाल पि. भजनलाल अंकित किया हुआ उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर महादारान,नेदारान पुत्रान अंगनारान दर्ज किया जाने की घोषणा फरमाई जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) दीगर दादरसी जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाई जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया कि वादीगण अपने वाद को स्वयं सिद्ध करे वादीगण द्वारा जो दुरूस्ती चाही है सबूत गवाहों के आधार पर ही दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

4. वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि में नकल इंतकाल सं. 227 दिनांक 08.01.1953 विरासत मृतक अंगनिया नकल जमाबंदी संवत 2020,नकल निशान क्षेत्रफल संवत 2020, नकल निशान क्षेत्रफल संवत 2042, नकल जमाबन्दी संवत 2071–74,फोटो प्रति परिवार राशनकार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, निर्वाचक नामावली पेश किये है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल इंतकाल सं. 227 के अवलोकन से साबित है कि अंगनिया के दो पुत्र महादारान व नेदा थे। जो वादीगण है नकल निशान क्षेत्रफल व साबिक जमाबंदीयात के आधार पर यह तथ्य साबित है कि आराजी उक्त वादी गण की पैतृक आराजी है। जो वादीगण को उनके मृतक पिता अंगनारान की विरासत से प्राप्त हुई है। परन्तु विरासत इंतकाल के अनुसार जमाबंदीयात में वादीगण का नाम व पिता का नाम गलत अंकित किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तु अन्य दस्तावेजात जैसे राशनकार्ड निर्वाचन पहचान पत्र निर्वाचन नामावली आदि से साबित है कि वादीगण का सही नाम महादारान, नेदारान पुत्रान अंगनारान ही है। सरपंच ग्राम पंचायत काठूवास प्रमाण पत्र में वादी का सही नाम महावीरप्रसाद पुत्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद साबित होता है। वाद वादीगण डिक्री किए जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. हाल 1017/0.29, 1024/0.67 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह. नीमराना के हाल जमाबंदी के खातेदारी कॉलम में जहा पर महादेव, नेदा पि0 अर्जुन अंकित है उसे कलमजन किया जा कर उसके स्थान पर महादारान, नेदारान पुत्रान अंगनारान व आराजी ख.न. हाल 236/1326/0.09,249/0.16 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह. नीमराना के हाल राजस्व जमाबंदी के खातेदारी कॉलम में जहा पर महादेव प्रसाद, भौंरेलाल पि. भजनलाल अंकित किया हुआ उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर महादारान,नेदारान पुत्रान अंगनारान दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक05.7.2023को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

05/7/2023

सुरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
166 / 2017	01.08.2017	04.7.2023

उनवान

1. महादाराम पुत्र अंगनाराम जाति माली निवासी ग्राम माधोसिंहपुरा .....मृतक
   1/1 ओमप्रकाश पुत्र महादाराम
   1/2 शकुन्तला देवी पुत्री महादाराम
   1/3 लक्ष्मी देवी पुत्री महादाराम
   1/4 कमला देवी पत्नी हरिराम पुत्र महादाराम
   1/5 जसराम पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/6 प्रेम सिंह पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/7 सुखराम पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/8 विजय पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/9 किरोडी पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/10 हवासिंह पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/11 सतीश पुत्र हरिराम पुत्र महादाराम
   1/12 मुकेश देवी पुत्री हरिराम पुत्र महादाराम
   1/13 नर्बदा देवी पुत्री हरिराम पुत्र महादाराम
   1/14 सरोज देवी पुत्री हरिराम पुत्र महादाराम समस्त जाति माली निवासी ग्राम माधोसिंहपुरा तह0 नीमराना।
2. मेदराम पुत्र अंगनाराम जाति माली निवासी ग्राम माधोसिंहपुरा तह0 नीमराना।

:–वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

:– **प्रतिवादी।**

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,188,189 आर0टी0एक्ट0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात।</u>

उपस्थितिः–

1. श्री प्राणसुख सैनी एड0 वादीगण की ओर से।
2. पैरोकार सरकार की ओर से जवाब दावा।

–::पर्चा डिक्री::–

वाद वादीगण दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. हाल 1017/0.29, 1024/0.67 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह. नीमराना के हाल जमाबंदी के खातेदारी कॉलम मे जहा पर महादेव, मेदा पि0 अर्जून अंकित है उसे कलमजन किया जा कर उसके स्थान पर महादाराम, मेदाराम पुत्रान अंगनाराम व आराजी ख.न. हाल 236/1326/0.09,249/0.16 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह. नीमराना के हाल राजस्व जमाबंदी के खातेदारी कॉलम मे जहा पर महादेव प्रसाद, भौरेलाल पि. भजनलाल अंकित किया हुआ उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर महादाराम,मेदाराम पुत्रान अंगनाराम दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। वाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

04/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)